16/01/023

पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी
उप्र.लोप.म.सरू.होके
में पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
को 18/12/2023 पेश हो ।

18/12/2023

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी/प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रकरण नोट प्रेत करते हुए निवेदन किया कि पक्षकारों में आपसी समझौता हो जाने से प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं सहमति स्वतंत्र अभिभाषक पर हस्ताक्षर लिए गए। अतः प्रकरण नोट प्रेत में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा होकर सम्बन्ध से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner